



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर बोड़, खण्डवा (म.प्र.)

फोन 0733-2222733 फैक्स 0733-2223863 E-mail- jskbkhandwa@gmail.com

क./साख/तक.स./फ.ऋ.नीति16-17/8439

खण्डवा, दिनांक 28.03.2016

प्रति,

शाखा प्रबंधक,

शाखा (समस्त कृषि)

विषय :- ऋण नीति वर्ष 2016-17 बाबद ।

विषयांतर्गत, कलेक्टर महोदय, जिला-खण्डवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समूह की दि० 14-03-2016 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत सुझावों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत सर्वानुमति से फसलवार अल्पावधि कृषि एवं मध्यावधि / दीर्घावधि ऋणों के लिए फसल ऋण-नीति वर्ष 2016-17 (दिनांक 01/04/2016 से 31/03/2017 तक) हेतु ऋणमान (Scale of Finance) निर्धारित किये गये हैं । बैंक संचालक मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 21.03.2016 में पुष्टि की गई है, ऋण-नीति संलग्न प्रेषित है । इस ऋण नीति में निर्धारित फसलवार ऋणमान तक कृषक सदस्यों के साख सीमा पत्रक तैयार कर ऋण वितरण किया जा सकेगा । साथ ही ऋण-नीति, प्रावधानित नियमों के अंतर्गत ऋण वितरण की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

संलग्न :- ऋण नीति वर्ष 2016-17

भवदीय

(ए०के० जैन)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क./साख/तक.स./फ.ऋ.नीति16-17/8439

खण्डवा, दिनांक 28.03.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक महोदय, सहकारी समितियां म.प्र., विध्याचल भवन-भोपाल ।
2. मुख्य महाप्रबंधक महोदय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक महोदय, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, अपेक्स बैंक मुख्यालय-भोपाल ।
4. संयुक्त पंजीयक महोदय, सहकारी संस्थाएँ इंदौर संभाग-श्रम शिविर, इंदौर ।
5. कलेक्टर महोदय, जिला- खण्डवा / बुरहानपुर ।
6. जिला विकास प्रबंधक महोदय, नाबार्ड, जिला- खण्डवा ।
7. उप पंजीयक महोदय, सहकारी संस्थाएँ जिला- खण्डवा / बुरहानपुर ।
8. उप संचालक महोदय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास- खण्डवा / बुरहानपुर ।
9. अध्यक्ष महो., नर्मदा ज्ञाबुआ ग्रामीण बैंक, प्र.का. आर्किड सिल्वर, 56 दुकान के पास, इंदौर ।
10. अग्रणी जिला प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा-खण्डवा / बुरहानपुर की ओर-सूचनार्थ एवं ऋण-नीति व्यावसायिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित करने का कष्ट करें ।
11. अधिष्ठाता महोदय, श्री भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय, जसवाडी रोड़, खण्डवा ।
12. उप संचालक महोदय, उद्यानिकी, जिला-खण्डवा / बुरहानपुर ।
13. सूचना एवं प्रकाशन अधिकारी महोदय, जिला- खण्डवा / बुरहानपुर ।
14. संभागीय शा.प्र. महोदय, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या., शाखा-विजयनगर, इंदौर/खरगोन ।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सह.के.बैंक मर्या०, इंदौर/खरगोन/धार/ज्ञाबुआ ।
16. कक्ष प्रमुख, समस्त कक्ष, बैंक प्र.का. खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु ।
17. समिति प्रबंधक, आ.जा./वृहत्ताकार/सेवा सहकारी समिति मर्यादित (समस्त कृषि) की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार अ०अ०फसलवार एवं म०अ० कृषि/अकृषि ऋणमान के अनुसार ऋणमान अधिकतम निर्धारित किये गये हैं, अतः सदस्यों की ऋण अदायगी क्षमता का आँकलन करते हुये ऋण वितरण की कार्यवाही की जावे। ताकि क्षमता से अधिक ऋण वितरण की स्थिति निर्मित न हो तथा वसूली भी प्रभावित नहीं होवे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा प्र.का.-रामेश्वर रोड, खण्डवा(म.प्र.)

जिला स्तरीय तकनीकी समूह बैठक दि० 14-03-2016 का कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 14-03-2016 को कलेक्टर महोदय, जिला-खण्डवा की अध्यक्षता में बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग- खण्डवा के जिलाधिकारियों, अग्रणी जिला प्रबंधक-खण्डवा, जिला विकास प्रबंधक-नाबार्ड खण्डवा, क्षेत्रीय प्रबंधक-नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक खरगोन क्षेत्र, कृषि वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कृषकों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागृह, खण्डवा में संपन्न हुई । जिसमें गतवर्ष 2015-16 की ऋण नीति के फसल ऋणमान, अल्पावधि, मध्यावधि कृषि-अकृषि ऋणमान आदि विषयों पर प्रस्तुत सुझावों पर चर्चा एवं विचार विमर्श के उपरान्त संशोधन के आधार पर सर्वानुमति से फसल ऋण नीति वर्ष 2016-17 के लिये निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये :-

विषय क्र० 1 :- वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न फसलों के लिये ऋणमान का निर्धारण तथा फसलवार नगद एवं वस्तु ऋण सीमा का निर्धारण करना ।

निर्णय क्र० 1 :- वर्ष 2016-17 हेतु उपस्थित पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं प्रगतिशील कृषकों से विचार- विमर्श तथा सुझावों के अनुसार फसलवार नगद तथा वस्तु ऋणमान की राशि प्रति-हेक्टर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

Sr. No	फसल का नाम	औसत उत्पादन (प्रति हेक्टर मात्रा क्विंटल में)				उत्पादन का 50% उपभोग हेतु	शेष 50%में से ऋणअदायगी क्षमता (प्रति हेक्टेयर)रु.		कमेटी द्वारा अ.अ.कृषि KCC स्वीकृत ऋणमान (प्रति हेक्टेयर राशि ₹ में)		
		मात्रा	दर	भूसा रु.	कीमत रु.		अअ.70%	मअ.30%	नगद75%	वस्तु 25%	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A खरीफ फसलें :-

1	कपास बीटी	25	4500	0	112500	56250	39375	16875	37500	12500	50000
2	सोयाबीन	18	3200	800	58400	29200	40000	12000	30000	10000	40000
3	मूंगफली	13	4000	0	52000	26000	18200	7800	15000	5000	20000
4	ज्वार शंकर	16	1300	7000	27800	13900	9730	4170	11250	3750	15000
5	मक्का	25	1300	7600	40100	20050	14035	6015	15000	5000	20000
6	बाजरा	12	1500	2500	20500	10250	7175	3075	6000	2000	8000
7	धान	15	3000	1200	46200	23100	16170	6930	12000	4000	16000
8	तुवर (अरहर)	15	3500	0	52500	26250	18375	7875	18750	6250	25000
9	मूंग	10	5500	0	55000	27500	19250	8250	12000	4000	16000
10	उड़द	10	6000	0	60000	30000	21000	9000	11250	3750	15000
11	तिल्ली	8	7000	0	56000	28000	19600	8400	12750	4250	17000
12	अरंडी सामान्य	15	4000	0	60000	30000	21000	9000	30000	10000	40000

B रबी फसलें :-

1	गेहूँ सिंचित	32	1500	8000	56000	28000	35000	5000	26250	8750	35000
2	चना सिंचित	16	3000	2000	50000	25000	17500	7500	18750	6250	25000
3	धनिया	15	4000	0	60000	30000	21000	9000	15750	5250	21000
4	गन्ना	850	230	0	195500	97750	68425	29325	60000	20000	80000
5	सूरजमुखी	8	2800	0	22400	11200	7840	3360	10500	3500	14000
6	सूरजमुखी	8	2800	0	22400	11200	7840	3360	11250	3750	15000

Sr. No	फसल का नाम	औसत उत्पादन (प्रति हेक्टर मात्रा क्विंटल में)				उत्पादन का 50% उपभोग हेतु	शेष 50%में से ऋण अदायगी क्षमता (प्रति हेक्टेयर)		कमेटी द्वारा अ.अ.कृषि KCC स्वीकृत ऋणमान (प्रति हेक्टेयर राशि ₹ में)		
		मात्रा	दर	भूसार.	कीमत		अअ.70%	मअ.30%	नगद75%	वस्तु 25%	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

C सब्जियाँ :-

1	आलू	200	1600	0	320000	160000	112000	48000	75000	25000	100000
2	मटर(हरीफल्ली)	20	6000	0	120000	60000	42000	18000	26250	8750	35000
3	टमाटर (ग्रा.)	250	800	0	200000	100000	70000	30000	56250	18750	75000
4	प्याज	250	900	0	225000	112500	78750	33750	60000	20000	80000
5	मिर्ची	400	1000	0	400000	200000	140000	60000	63750	21250	85000
6	भिंडी	400	1000	0	400000	200000	140000	60000	37500	12500	50000
7	बैंगन (ग्रा.)	400	700	0	280000	140000	98000	42000	37500	12500	50000
8	कद्दू (वर्गीय)	400	800	0	320000	160000	112000	48000	37500	12500	50000
9	लौकी / गिलकी	250	1000	0	250000	125000	87500	37500	37500	12500	50000
10	गोभी	350	700	0	245000	122500	85750	36750	37500	12500	50000
11	गाजर	300	500	0	150000	75000	52500	22500	18750	6250	25000
12	मूली	300	400	0	120000	60000	42000	18000	18750	6250	25000
13	शकरकंद(नग)	150	1000	0	150000	75000	52500	22500	18750	6250	25000
14	अरबी	200	1000	0	200000	100000	70000	30000	56250	18750	75000
15	लहसून	130	6000	0	780000	390000	273000	117000	45000	15000	60000
16	अदरक	200	5000	0	1000000	500000	350000	150000	52500	17500	70000

D फल :-

1	केला	1232	1200	0	1478400	739200	517440	221760	112500	37500	150000
2	पपीता	750	1000	0	750000	375000	262500	112500	56250	18750	75000
4	खरबूज/तरबूज	200	600	0	120000	60000	42000	18000	18750	6250	25000

E बीजोत्पादन :-

1	कपास	25	6000	0	150000	75000	52500	22500	37500	12500	50000
2	अरंडी	25	7000	0	175000	87500	61250	26250	45000	15000	60000

F फूल :-

1	गेंदा	120	2500	0	300000	150000	105000	45000	56250	18750	75000
---	-------	-----	------	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

अन्य दीर्घावधि फसलें जैसे :- अनार, अंगूर, बेर(कलम), सू-बबूल, आई-नीलगिरी, नीबू, संतरा, अमरुद, आम, कुंदरू, शहतूत, पान, मशरूम आदि फसलों हेतु उद्यानिकी विभाग से अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचारोपरांत नाबार्ड निर्देशानुसार ऋण स्वीकृत किया जायेगा ।

औषधियाँ/सुगंधित पौधे आदि हेतु :- औषधियाँ एवं सुगंधित पौधे (मेडिशिनल एवं हर्बल प्लांट हेतु) उद्यानिकी विभाग से अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचारोपरांत नाबार्ड निर्देशानुसार ऋण स्वीकृत किया जायेगा ।

अन्य उद्देश्यों हेतु :- नाबार्ड निर्देशों के अनुसार विचारोपरांत ऋण स्वीकृत किया जावेगा ।

विषय क0 2 :- वर्ष 2016-17 हेतु कृषक सदस्य की अल्पावधि कृषि (KCC) ऋण की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण करना ।

निर्णय क0 2 :- वर्ष 2016-17 हेतु प्राथ.कृषि साख सहकारी समितियों के व्यक्तिगत कृषक सदस्यों को दिये जाने वाले अल्पावधि कृषि केसीसी ऋण की अधिकतम साख सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है -

फसलें	KCC ऋण की अधिकतम साख सीमा रु.लाखों में	अधिकतम ऋण साख सीमा में से	
		नगद	वस्तु (कृषि आदान हेतु)
समस्त खरीफ एवं रबी फसलें	3.00 रु.तीन लाख.	75%	25%

उक्तानुसार निर्धारित अधिकतम ऋण की साख सीमा के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषक की धारित कृषि भूमि/उत्पादित होने वाली फसल के आधार पर अधिकतम रु.3.00 लाख की साख सीमा तक अल्पावधि कृषि KCC ऋण की पात्रता होगी । प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा रु.3.00 लाख की ऋण सीमा तक 0% (शून्य प्रतिशत) ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि (KCC) ऋण "अकालातीत" कृषकों को प्रदान किया जावेगा ।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कृषक की खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों हेतु पृथक-पृथक रु.3.00 - 3.00लाख की अधिकतम साख सीमा निर्धारित की जा सकती है, किंतु प्रतिबंध यह रहेगा कि यदि खरीफ /रबी सीजन में से किसी एक सीजन में रु.3.00 लाख की अधिकतम साख सीमा तक ऋण प्राप्त कर लिया है तो इस उपयोग की गई ऋण सीमा में से जितना ऋण कृषक द्वारा जमा किया जावेगा, उस जमा ऋण की सीमा तक ही आगामी सीजन में KCC ऋण दिया सकेगा । किसी भी समय कृषक के अल्पावधि कृषि (KCC) ऋण खाते में अधिकतम ऋण शेष रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं होगा ।

उदाहरण :- कृषक "अ" की खरीफ सीजन हेतु अल्पावधि कृषि KCC ऋण साख सीमा रु. 3.00 लाख तक स्वीकृत है । रबी सीजन हेतु भी KCC ऋण साख सीमा रु.3.00 लाख तक स्वीकृत की जा सकेगी । कृषक द्वारा खरीफ सीजन में (दिनांक 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक) रु.3.00 लाख तक अधिकतम ऋण प्राप्त कर लिया गया है ।

अब रबी सीजन में (दिनांक 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक) ऋण तभी दिया जा सकेगा जबकि कृषक द्वारा खरीफ सीजन में ली'गई ऋण राशि रु. 3.00 लाख में से ऋण राशि जमा की जावेगी तथा उतनी ही राशि का ऋण दिया जावेगा, जितनी ऋण राशि जमा की जावेगी ।

अर्थात् रु. 3.00 लाख का एक सीजन में ऋण ले लेने पर यदि कोई भी ऋण राशि जमा नहीं की जाती है तो अगले रबी/खरीफ सीजन में किसी प्रकार के ऋण की पात्रता नहीं होगी, भले ही साख सीमा स्वीकृत है ।



विषय क0 3 :- वर्ष 2016-17 हेतु अल्पावधि कृषि (KCC) ऋण वितरण की अवधि निर्धारण किए जाने पर विचार । ।

निर्णय क0 3 :- वर्ष 2016-17 हेतु जिले की व्यवहारिक स्थिति अनुसार अल्पावधि कृषि (KCC) ऋण वितरण की अवधि निम्नवत् निर्धारित की है :-

क.	मौसम	कमेटी में स्वीकृत ऋण वितरण की अवधि
1	खरीफ	1 अप्रैल से 30 सितंबर
2	रबी	1 अक्टूबर से 31 मार्च
3	गन्ना	1 अप्रैल से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च
4	केला-मृग बहार	1 अप्रैल से 30 सितंबर
5	केला-कांदा बहार	1 अक्टूबर से 31 मार्च

केला फसल हेतु नगद ऋण दो किशतों में दिया जावेगा । प्रथम किशत बोने के पूर्व, दूसरी किशत केला लगाने के 2 माह बाद अर्थात् पौधों का क्षेत्रफल व पौधा सत्यापन के बाद वस्तु ऋण फसलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण निर्धारित ऋण वितरण अवधि में दिया जा सकेगा । रबी फसल हेतु कृषकों की आवश्यकता अनुसार शाखा प्रबंधक की अनुमति से नगद ऋण जुलाई से दिया जा सकता है, किंतु केला फसल के लिए यह पाबंदी लगाई जाती है कि सदस्य को स्वीकृत साख सीमा से खाद प्रदाय 03 किशतों में 2-2 माह के अंतराल से आवश्यकतानुसार दिया जावे । प्रथम किशत का खाद देने के बाद समिति प्रबंधक यह सुनिश्चित करे कि खाद जितना दिया गया है उतने रकबे में सदस्य द्वारा केला फसल में उसका सही-सही उपयोग किया गया है । केला लगाने पर खाद द्वितीय डोज देने के पूर्व पौधों की गणना व क्षेत्रफल का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है । जानकारी असत्य होने पर यदि खाद देना पाया गया तो दोषी कर्मचारी / संस्था प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । केला फसल हेतु ऋण देते समय कृषक से घोषणा फार्म में भरवाया जावे कि कृषक किस केला ग्रुप से संबंधित है तथा उपज इसके माध्यम से ही बेचेगा ।

विषय कं0 4 :- वर्ष 2016-17 हेतु अल्पावधि कृषि (KCC) ऋण की अदायगी तिथि निर्धारण किए जाने पर विचार ।

निर्णय क0 4 :- वर्ष 2016-17 हेतु अल्पावधि (KCC) ऋण की अदायगी तिथि फसल आधार पर निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

मौसम	बैंक स्तर समिति से बैंक	समिति स्तर-सदस्य से समिति को
अल्पावधि खरीफ	अंतिम शुक्रवार-मार्च	28 मार्च
अल्पावधि रबी	अंतिम शुक्रवार-जून	15 जून
गन्ना	अंतिमशुक्रवार-12माह में	15 तारिख 12 माह में
केला-मृग बहार	अंतिम शुक्रवार-दिसंबर	15 दिसंबर
केला-कांदा बहार	अंतिम शुक्रवार-मई	15 मई

फसल की अवधि 18 माह होगी ।

विषय क्रमांक 5 :- वर्ष 2016-17 हेतु मध्यावधि ऋण की उद्देश्यवार अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण करना ।

निर्णय क्रमांक 5 :- वर्ष 2016-17 हेतु प्रचलित एवं वर्तमान जानकारी के आधार पर विचार-विमर्श उपरांत मध्यावधि ऋण की उद्देश्यवार अधिकतम ऋण-सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	मध्यम-अवधि ऋण उद्देश्यवार विवरण		कमेटी द्वारा स्वीकृत ऋणमान		
			अधिकतम ऋण सीमा राशि रु.	अवधि (वर्ष)	कृषिभूमि (हेक्टे.में)
1	A नवीन कुँआ (पम्प हाऊस सहित) न्यूनतम गहराई 25से40फुट.		1,50,000	5 वर्ष	1.60
	B बेंधाई(अतिरिक्त खुदाई नये कुँए की तरह)बेंधाई ईट जुड़ाई/RCC.		1,00,000		1.60
2	कुँआ मरम्मत (पुराने खुदे हुये कुँए की मरम्मत/गहरीकरण हेतु).		75,000		1.60
3	* विद्युत पंप (ISI Mark) 2 HP		22,000	3 से 5 वर्ष तक	1.60
	(एसेसरीज सहित) (ISI Mark) 3 HP		24,000		
	(ISI Mark) 5 HP		33,000		
	(ISI Mark) 7.50 HP		40,000		
	(ISI Mark) Above 7.50 HP		45,000		
4	* डीजल पंप (ISI Mark) 5 HP		38,000	5 वर्ष	1.60
	(एसेसरीज सहित) (ISI Mark) 7.5HP		40,000		
	(ISI Mark) 10 HP		45,000		
5	* पाईप (PVC) (ISI Mark) 2" 63 MM		60 Per-Mtr	3 से 5 वर्ष तक	1.60
	(ISI Mark) 2.5" 75 MM		85 Per-Mtr		
	(ISI Mark) 3" 90 MM		110 Per-Mtr		
	(ISI Mark) 4" 110 MM		160 Per-Mtr		
	(ISI Mark) 5" 140 MM		180 Per-Mtr		
6	* ट्यूबवेल. (ISI Mark)		75,000	5 वर्ष	1.60
7	* सबमर्सिबल पंप (ISI Mark) 5HP		33,000	5 वर्ष	1.60
	(ISI Mark) 7.50HP		42,000		
	(ISI Mark) 10HP		50,000		
	पाईप, केबल, स्टार्टर एवं अन्य खर्च हेतु		55,000		
8	* ड्रीप सिंचाई (ISI Mark) प्रति हेक्टेयर		1,00,000	5 वर्ष	1.00
9	* स्प्रिंकलर-HDPE (ISI Mark) प्रति हेक्टेयर		30,000	5 वर्ष	1.00
	* नोट:-उपरोक्त क्र.3 से 9 तक सिंचाई के स्रोत में संबंधित विभाग के जल उपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जावेगा।				



क्रं.	मध्यम-अवधि उद्देश्यवार विवरण		कमेटी द्वारा स्वीकृत ऋणमान		
			अधिकतम ऋण सीमा राशि रु.	अवधि (वर्ष)	कृषिभूमि (हेक्टे.में)
10	शक्ति चलित रोटोवेटर (ISI Mark)	कोटेशन के आधार पर 85%		5 वर्ष	2.00
11	शेसर मशीन (विद्युतमोटर सहित) 5hp.,7.5hp,10hp (ISI Mark)			5 वर्ष	1.60
12	जनरेटर (ISI Mark)			5 वर्ष	1.60
13	कल्टीवेटर (स्वयं का टेक्टर होने पर) (ISI Mark)			5 वर्ष	1.60
14	सीड ड्रिल (स्वयं का टेक्टर होने पर) (ISI Mark)			5 वर्ष	4 सिंचित
15	ट्रेक्टर माउन्टेड शेसर विथकटर(स्वयं का टेक्टर होने पर)ISI Mark			5 वर्ष	4 सिंचित
16	हाइड्रोलिक ट्रॉली(स्वयं का टेक्टर होने पर) (ISI Mark)			5 वर्ष	4 सिंचित
17	भूसा मशीन ट्रेक्टर (ISI Mark)			5 वर्ष	4 सिंचित
18	पावर ट्रिलर (ISI Mark)			5 वर्ष	1.60
19	बायोगैस मॉडल अनुसार(नाबार्ड निर्धारित दर) (ISI Mark)		30,000	5 वर्ष	0.80
20	बैलजोड़ी (निमाड़ी)		60,000	5 वर्ष	1.20
21	भैंस (डेयरी) हेतु (प्रति-भैंस)		1,00,000	5 वर्ष	1.00
22	A गाय (जर्सी) (प्रति-गाय)		60,000	5 वर्ष	1.00
	B गाय (देशी) (प्रति-गाय)		35,000	5 वर्ष	1.00
23	कृषि यंत्र मॉडल अनुसार (प्रति नग) (ISI Mark)		7,000	3 वर्ष	1.20
24	बायोगैस मरम्मत (ISI Mark)		12,000	3 वर्ष	0.80
25	बैलगाड़ी		25,000	3 वर्ष	1.20
26	बकरी पालन (10+01)		50,000	3 वर्ष	0.80
27	घास यूनिट -		6,000	3 वर्ष	0.40
28	A मुर्गी पालन लेयर युनिट (अण्डा देने वाली) 100 यूनिट		28,000	3 वर्ष	-
	बायलर युनिट (खाने वाली) 200 यूनिट		22,000	3 वर्ष	-
	B बत्तख 67 यूनिट		15,000	3 वर्ष	-
29	उपरोक्त क.1 से 28 तक उल्लेखित के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु प्राप्त ऋण प्रकरणों में कोटेशन अनुसार 85% तक नाबार्ड के निर्देशानुसार विचारोपरांत ऋण स्वीकृत किया जावेगा। (आवश्यक होने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली जावेगी।)				
30	शासकीय योजनाओं में शासन की नीति अनुसार विचारोपरांत ऋण स्वीकृत किया जावेगा।				

यह ऋण नीति वर्ष 2016-17 (दिनांक 01-04-2016से 31-03-2017 तक) के लिये लागू रहेगी।



(ए.के. जैन)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खण्डवा

(एम. के. अग्रवाल)
कलेक्टर
जिला-खण्डवा (म.प्र.)